

फर्द अहकाम

(नियम 26)

A15

अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

बनाम इनिशियल्स
मुकदमा नं. 31 सन् 2017
वार

शेख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस में जारी हुए
07/19	<p>पत्रावली के द्वारा वारीगण एवं कस्बेवाला वारीगण अनुपस्थित। कस्बेवाला प्रतिवादी उपस्थित। रूक-रूक कर कई बार कौवाज लागवाने पर भी वारीगण कस्बेवाला वारीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रमाण अदम है। अदम पैरवी से वारीगण बिराहा जाता है। पत्रावली के अनुसार शुमार के अन्तर्गत ले काम हो।</p>	
	<p>SAO</p>	